भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2259
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध

2259. श्री अजय भट्ट :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**
(क) देश में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए वर्तमान में स्थापित और कार्यरत विशेष न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है।
(ख) पिछले तीन वर्षों में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के संबंध में दर्ज, लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ;
(ग) क्या सरकार की उत्तराखंड के जिलों सहित देश के प्रत्येक जिले में मामलों के तेजी से निपटान के लिए और अधिक विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) क्या सरकार का ऐसे न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों/अभियोजकों को नियुक्त करने का विचार है ;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और उच्चतम न्यायालय [स्वमेव रिट (दाण्डिक) संख्या 1/2019] के परिपालन में अक्टूबर, 2019 में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिनमें विशिष्ट पोस्को (ईपोस्को) न्यायालय सम्मिलित हैं, की स्थापना हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का

संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन बलात्संग और अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के नियत समय सीमा में विचारण और निस्तारण हेतु समर्पित हैं।

790 न्यायालयों की स्थापना हेतु इस योजना का 31 मार्च,2026 तक दो बार विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत 1952.23 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान है, जिसमें से केंद्रीय अंश के तौर पर 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया कोष से व्यय किए जाने हैं।

30.09.2025 तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 773 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें 400 विशिष्ट पोस्को (ईपोस्को) न्यायालय सम्मिलित हैं। कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी), जिनमें विशिष्ट पोस्को न्यायालय सम्मिलित हैं, के राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण **उपाबंध -1** में दिया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान बलात्संग और पोस्को अधिनियम से संबंधित मामलों से निपटने वाले फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) द्वारा रजिस्ट्रीकृत, लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध -2** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों, जिसमें विशेष न्यायालय भी शामिल हैं, की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आती है। तदनुसार, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के मामलों से निपटने के लिए पोस्को न्यायालयों और फास्ट ट्रैक न्यायालयों को नामित/समर्पित किया है। ये न्यायालय, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के अतिरिक्त हैं।

विभाग अधिक फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को कार्यरत बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ पूर्णतः प्रतिबद्ध है और कार्यरत रूप से संलग्न है। उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर, राज्य को 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय [**देहरादून (विकासनगर)**, **उधम सिंह नगर (काशीपुर)** और **नैनीताल जिला मुख्यालय**] **में** आवंटित किए गए हैं।

(ङ) से (छ): न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों/अभियोजकों तथा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों का भरना, राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक संरचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती से संबंधित नियम बनाती है।

****

उपाबंध - 1

तारीख 30/09/2025 को यथा राज्यवार /संघ राज्यक्षेत्रवार कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के साथ-साथ विशिष्ट पोस्को (ईपोस्को) अदालतों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय	
		विशिष्ट पोस्को सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय	विशिष्ट पोस्को
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	54	48
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	18	14
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू - कश्मीर	4	2
12	कर्नाटक	30	17
13	केरल	55	14
14	मध्य प्रदेश	67	56
15	महाराष्ट्र	36	1
16	मणिपुर	2	0
17	मेघालय	5	5
18	मिजोरम	3	1
19	नागालैंड	1	0
20	ओड़िशा	44	23
21	पुदुचेरी	1	1
22	पंजाब	12	3
23	राजस्थान	45	30
24	तमिलनाडु	20	20
25	तेलंगाना	36	0
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	4	0
28	उत्तर प्रदेश	218	74
29	पश्चिमी बंगाल	8	8
30	झारखंड *	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0
	कुल	**773**	**400**

टिप्पण : योजना के प्रारंभ में, देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का आवंटन प्रति अदालत 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा। उस आधार पर, केवल 31 राज्य / संघ राज्यक्षेत्र योजना में शामिल होने के उपयुक्त थे। पुदुचेरी ने योजना में शामिल होने के लिए विशेष अनुरोध किया था और तब से मई, 2023 में एक विशेष पोस्को अदालत को क्रियाशील की है।

* झारखण्ड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र द्वारा योजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।योजना के अंतर्गत, राज्य में मई 2025 तक 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत थे, जिसमें योजना के प्रारंभ से कुल 9,114 मामलों का निपटारा किया गया।

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने योजना में शामिल होने की सहमति दी है, लेकिन अभी तक कोई अदालत क्रियाशील नहीं की है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पोस्को अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है।

उपाबंध - 2

राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार पिछले तीन वर्षों के दौरान बलात्संग और पोस्को अधिनियम के मामलों से निपटने वाली फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत, लंबित और निष्पादित मामलों का विवरण

		2023			2024			2025 (जनवरी- सितंबर)		
क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	रजिस्ट्रीकृत मामले	निष्पादित मामले	लंबित मामले (दिसंबर 2023 तक)	रजिस्ट्रीकृत मामले	निष्पादित मामले	लंबित मामले (दिसंबर 2024 तक)	रजिस्ट्रीकृत मामले	निष्पादित मामले	लंबित मामले (दिसंबर 2025 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	2279	2368	7231	1419	2138	6512	1779	1949	6342
2	असम	3624	2300	5207	3847	2685	5984	2446	1953	6477
3	बिहार	6515	4464	17716	6245	4556	19321	5922	4442	22934
4	चंडीगढ़	198	128	203	99	73	229	77	96	210
5	छत्तीसगढ़	1066	1450	2264	1164	1365	1975	849	1065	1492
6	दिल्ली	1005	756	3810	768	833	3663	494	595	3515
8	गोवा	32	23	156	38	51	143	41	43	141
7	गुजरात	4003	4275	6338	3593	4228	5703	2484	3052	5135
9	हरियाणा	1939	2094	4199	2045	1911	4235	1518	1295	4544
10	हिमाचल प्रदेश	214	299	834	237	432	639	202	236	605
11	जम्मू - कश्मीर	76	41	453	164	112	509	60	75	494
12	झारखंड *	2216	2189	4486	2151	2313	4447	929	979	0
13	कर्नाटक	3595	3713	5414	3570	3553	5436	2619	2519	5231
14	केरल	7255	7044	7401	5462	6324	6524	3094	3962	6301
15	मध्य प्रदेश	5896	8130	10193	6238	6152	10259	4463	3856	10879
16	महाराष्ट्र	2817	6811	4355	1454	3716	1354	39653	472	33630
17	मणिपुर	12	48	94	18	45	64	20	40	44
18	मेघालय	204	135	1061	252	265	1049	202	124	1128
19	मिजोरम	120	60	89	63	73	72	63	44	90
20	नागालैंड	5	6	51	9	11	49	15	5	59
21	ओड़िशा	4626	5153	11060	4264	5747	9577	3491	3939	9129
22	पुदुचेरी	59	44	221	79	78	222	70	62	230
23	पंजाब	1089	1502	1438	1221	1127	1561	844	935	1470
24	राजस्थान	3533	4213	6122	3615	4288	5449	2503	3033	4919
25	तमिलनाडु	2847	1861	4440	2903	2670	4672	5807	1719	8135
26	तेलंगाना	2486	1720	8463	2461	2499	8425	2242	1817	8850
27	त्रिपुरा	88	163	242	66	89	219	93	89	221
28	उत्तर प्रदेश	23246	14898	84778	33393	27640	90531	33314	12114	94826
29	उत्तराखंड	351	383	908	606	437	1077	248	212	1113
30	पश्चिमी बंगाल	75	48	2948	1458	184	4222	1588	339	5471
	कुल	**81471**	**76319**	**202175**	**88902**	**85595**	**204122**	**117130**	**51061**	**243615**

* झारखंड राज्य ने दिनांक 07.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से योजना से बाहर होने का निर्णय लिया।
योजना के अंतर्गत, राज्य में मई 2025 तक 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत थे, जिसमें योजना के प्रारंभ से कुल 9,114 मामलों का निष्पादन किया गया।

****